



# बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन, लि०,

“खाद्य भवन”, दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक, रोड नं० २, पटना ८००००१

## कार्यालय आदेश

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मोतिहारी का पत्रांक ४४० दिनांक ०१.०४.१७ के आलोक में श्री सुरेश प्रसाद सिंह, सहायक प्रबंधक(संविदा)(विस्कोमान) मोतिहारी का संविदा समाप्ति की तिथि ३१.०३.१७ है। जिला प्रबंधक, मोतिहारी के अनुशंसा के आलोक में श्री सिंह, सहायक प्रबंधक(संविदा), मोतिहारी को पुनः दिनांक ०१.०४.१७ के प्रभाव से ११(ग्यारह)माह तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अनुसार संविदा का अवधि विस्तार किया जाता है-

संविदा पर कार्यरत पदाधिकारी का नाम	जन्म तिथि	संविदा समाप्ति की तिथि	संविदा विस्तार की तिथि
श्री सुरेश प्रसाद सिंह, सहायक प्रबंधक(संविदा), (विस्कोमान) मोतिहारी	३०.०१.१९६१	३१.३.१७	दिनांक ०१.०४.१७ से ११(ग्यारह) माह तक के लिए

शर्तः-

- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मोतिहारी की अनुशंसा के आलोक में की जा रही है, अतः किसी विरंगति की जिम्मेवारी जिला प्रबंधक की होगी।
- उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी, वही मानदेय के रूप में उन्हें देय होगा।
- इनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायगी और कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें कार्य मुक्त कर दिया जायगा।
- इनके द्वारा की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।
- संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं होता है तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायगी।
- इनके द्वारा संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को तीन माह का अग्रिम नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें निगम को तीन माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन वसूलनीय होगी।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।


ह०/-

उप प्रमुख प्रशासन

दिनांक- ०२/०६/१७

ज्ञापांक-३:०२:४२:०१:२०१७ ५१४६

प्रतिलिपि-सभी प्रभारी प्रमुख/सभी उप प्रमुख/डेस्क पदाधिकारी/गोपनीय शाखा, मुख्यालय, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मोतिहारी एवं श्री सुरेश प्रसाद सिंह, सहायक प्रबंधक(संविदा), मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
१२-६-१७  
उप प्रमुख प्रशासन



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन, लि०,  
“खाद्य भवन”, दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक, रोड नं० २, पटना ८००००१

**कार्यालय आदेश**

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णियां का पत्रांक ४४१ दिनांक ०७.०४.१७ के आलोक में श्री शशि भूषण वर्मा, सहायक प्रबंधक(संविदा)(विस्कोमान) पूर्णियां का संविदा समाप्ति की तिथि ३१.०३.१७ है। जिला प्रबंधक, पूर्णियां के अनुशंसा के आलोक में श्री वर्मा, सहायक प्रबंधक(संविदा), पूर्णियां को पुनः दिनांक ०१.०४.१७ के प्रभाव से ११(ग्यारह)माह तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अनुसार संविदा का अवधि विस्तार किया जाता है-

संविदा पर कार्यरत पदाधिकारी का नाम	जन्म तिथि	संविदा समाप्ति की तिथि	संविदा विस्तार की तिथि
श्री शशि भूषण वर्मा, सहायक प्रबंधक(संविदा), (विस्कोमान) पूर्णियां	३०.०१.१९६०	३१.३.१७	दिनांक ०१.०४.१७ से ११(ग्यारह) माह तक के लिए

शर्त:-

१. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णिया की अनुशंसा के आलोक में की जा रही है, अतः किसी विसंगति की जिम्मेवारी जिला प्रबंधक की होगी।
२. उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी, वही मानदेय के रूप में उन्हें देय होगा।
३. इनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायगी और कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें कार्य मुक्त कर दिया जायगा।
४. इनके द्वारा की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।
५. संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं होता है तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायगी।
६. इनके द्वारा संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को तीन माह का अग्रिम नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें निगम को तीन माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन वसूलनीय होगी।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

ह०/-

उप प्रमुख प्रशासन

ज्ञापांक-३:०२:३३:०१:२०१७ ५१५७

दिनांक-०२/०६/१७

प्रतिलिपि-सभी प्रभारी प्रमुख/सभी उप प्रमुख/डेस्क पदाधिकारी/गोपनीय शाखा, मुख्यालय, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णियां एवं श्री शशि भूषण वर्मा, सहायक प्रबंधक(संविदा), पूर्णियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
२.६.१७  
उप प्रमुख प्रशासन



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लायज कॉरपोरेशन, लि०,  
"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक, रोड नं० २, पटना ८००००१

कार्यालय आदेश

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बेतिया का पत्रांक ३४७,३४९ दिनांक ०१.०३.१७ के आलोक में श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, सहायक प्रबंधक(संविदा)(विस्कोमान) बेतिया का संविदा समाप्ति की तिथि ३१.०३.१७ है। जिला प्रबंधक, बेतिया के अनुशंसा के आलोक में श्री सिंह, सहायक प्रबंधक(संविदा), बेतिया को पुनः दिनांक ०१.०४.१७ के प्रभाव से ११(ग्यारह)माह तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अनुसार संविदा का अवधि विस्तार किया जाता है-

संविदा पर कार्यरत पदाधिकारी का नाम	जन्म तिथि	संविदा समाप्ति की तिथि	संविदा विस्तार की तिथि
श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, सहायक प्रबंधक(संविदा), (विस्कोमान) बेतिया	७.११.१९५५	३१.३.१७	दिनांक ०१.०४.१७ से ११(ग्यारह) माह तक के लिए

शर्तः-

- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बेतिया की अनुशंसा के आलोक में की जा रही है, अतः किसी विरसंगति की जिम्मेवारी जिला प्रबंधक की होगी।
- उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी, वही मानदेय के रूप में उन्हें देय होगा।
- इनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायगी और कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें कार्य मुक्त कर दिया जायगा।
- इनके द्वारा की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।
- संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं होता है तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायगी।
- इनके द्वारा संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को तीन माह का अग्रिम नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें निगम को तीन माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन वसूलनीय होगी।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

ह०/-

उप प्रमुख प्रशासन

दिनांक-०२/०६/१७

ज्ञापांक-३:०२:३५:०१:२०१६ ५१४८

प्रतिलिपि-सभी प्रभारी प्रमुख/सभी उप प्रमुख/डेस्क पदाधिकारी/गोपनीय

शाखा, मुख्यालय, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बेतिया एवं श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, सहायक प्रबंधक(संविदा), बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप प्रमुख प्रशासन





बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन, लि०,  
"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक, रोड नं० २, पटना ८००००१

**कार्यालय आदेश**

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, छपरा से प्राप्त पत्रांक ८०८ दिनांक ०३.०६.१७ एवं ७९२ दिनांक १.६.१७ के आलोक में श्री मिथिलेश कुमार सिंह, सहायक प्रबंधक(संविदा)(विस्कोमान) छपरा का संविदा समाप्ति की तिथि ३१.०३.१७ है। जिला प्रबंधक, छपरा के अनुशंसा के आलोक में श्री सिंह, सहायक प्रबंधक(संविदा), छपरा को पुनः दिनांक ०१.०४.१७ के प्रभाव से ११(ग्यारह)माह तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अनुसार संविदा का अवधि विस्तार किया जाता है-

संविदा पर कार्यरत पदाधिकारी का नाम	जन्म तिथि	संविदा समाप्ति की तिथि	संविदा विस्तार की तिथि
श्री मिथिलेश कुमार सिंह, सहायक प्रबंधक(संविदा), (विस्कोमान) छपरा	३.०६.१९६०	३१.३.१७	दिनांक ०१.०४.१७ से ११(ग्यारह) माह तक के लिए

शर्तें:-

- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, छपरा की अनुशंसा के आलोक में की जा रही है, अतः किसी विसंगति की जिम्मेवारी जिला प्रबंधक की होगी।
- उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी, वही मानदेय के रूप में उन्हें देय होगा।
- इनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायगी और कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें कार्य मुक्त कर दिया जायगा।
- इनके द्वारा की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।
- संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं होता है तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायगी।
- इनके द्वारा संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को तीन माह का अग्रिम नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें निगम को तीन माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन वसूलनीय होगी।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

ह०/-


उप प्रमुख प्रशासन

ज्ञापक-३:०२:९७:०१:२०१७ ५२२०

दिनांक- ०५/०६/१७

प्रतिलिपि-सभी प्रभारी प्रमुख/सभी उप प्रमुख/हेडक् पदाधिकारी/गोपनीय

शाखा, मुख्यालय, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, छपरा एवं श्री मिथिलेश प्रसाद सिंह, सहायक प्रबंधक(संविदा), छपरा को सूचना एवं आवश्यक कार्यादि प्रेषित।

  
उप प्रमुख प्रशासन